

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(पी-498/86)/अलेसे-11/170-176 दिनांक :- 27.4.16

कार्यालय आदेश

श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 19090-19097 दिनांक 10.07.2015 के द्वारा रिश्तत लेने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दिनांक 06.07.2015 को ट्रेप करने एवं न्यायायिक अभिरक्षा में लेने के कारण दिनांक 06.07.2015 से निलम्बित किया गया था । श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है । श्री शेखावत ने दिनांक 20.04.2016 के द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है ।

अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 (1) के अनुसरण में श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निल.) को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(पी-498/86)/अलेसे-11/170-176 दिनांक:- 27.4.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला-ग्रामीण खण्ड-II, जयपुर
4. कोषाधिकारी, जयपुर शहर/अजमेर।
5. श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निल.), मुख्यालय, जयपुर शहर, जयपुर
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी/पदस्थापन सीट/एसीपी सीट/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)